पूर्वानुसार दिनांक 10/4/23 को पेश हो।

10/4/23 आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/4/23 को पेश हो।

17/4/23 अभिभाषकगण उपस्थित, अभिभाषकगण द्वारा बहस प्रस्तुत की गई, पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/4/23 को पेश हो।

19/4/23 अभिभाषकगण उपस्थित, वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर तामील किया गया, न्याय शुल्क प्रस्तुत होने पर पर्चा डिक्री जारी हो।

20/4/23 अभिभाषक वादी उपस्थित, वकील वादी द्वारा निर्णय दिनांक 19/4/23 की पालना में न्याय शुल्क प्रस्तुत किए गए, नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली नामीबद्ध हो, पत्रावली डायरी पंजिका के इन्द्राज मय की जाकर निर्णीत की श्रेणी में शामिल हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री संजय कुमार, आर.ए.एस.
वादपत्र संख्या 079/2019
अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. ओम प्रकाश पुत्र श्री बहादर राम जाति नायक निवासी वीपीओ कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

........वादीगण

व ना म

1. पृथ्वीराम पुत्र स्व0 चावली पुत्री वहादर राम जाति नायक निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. बलराम पुत्र श्रीमती स्व0 चावली पुत्री बहादर राम जाति नायक निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. राज कुमार पुत्र स्व0 चावली पुत्री स्व0 बहादर राम जाति नायक निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

...... प्रतिवादीगण

4. स्टेट आफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

...... आवश्यक प्रतिवादीगण

5. मायादेवी पुत्री बहादर राम जाति नायक पत्नी मनीराम निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

...... तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री बलराम स्वामी (वादी)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–04)

दिनांक: 19 अप्रैल, 2023

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी की माता स्व0 पार्वती पत्नी स्व0 बहादर राम के नाम से चक 5 एफ बडा पटवार हल्का कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 47/50 मुरब्बा नं0 4 की 3.112 नहरी व 0.050 खाला कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदारी दर्ज कागजात राज है। इसी मुरबा का शेष रकबा खाता संख्या 6/7 के रूप में 3.163 हैक्टै0 वादी के नाम से दर्ज है। वादी की माता स्व0 पार्वती पत्नी स्व0 बहादर राम उर्फ भादर राम ने अपने जीवन काल में अपनी उक्त आराजी खाता संख्या 47/50 मुरबा नं0 4 की 3.112 नहरी 0.050 हैक्टे0 खाला जिसका लगान 23.9933 लगता है। वसीयत दिनांक 04.07.1998 को रोबरू गवाहान गुरदीप सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह निवासी मिर्जेवाला तहसील गंगानगर व सुलतान राम पुत्र आदुराम निवासी कोनी अपनी स्वैच्छा से स्टाम्प पर तहरीर तकमील करवा कर सुन व समझ कर सहीमान कर रौबरू गवाहान के अपने अन्गूठे किए तथा गवाहान ने वादी की माता के कहने पर गवाही के हस्ताक्षर अन्गूठे किए तथा वादी की माता ने उसी रोज उक्त वसीयत को नोटेरी पब्लिक एस.पी. गुप्ता के समक्ष पेश कर सुन व समझ कर सही मान कर तस्दीक करवाया गया। वादी की माता का देहान्त दिनांक 15.01.2019 को हो गया। इस प्रकार से वादी की माता जो कि उक्त भूमि की अकेली खातेदार कास्तकार हकदार थी व उसकी उक्त सम्पति स्वअर्जित भूमि की परिभाषा में आता है कि वसीयत करने से मैं कानूनन सक्षम थी तथा उसने उक्त वसीयत परिवार की सहमति से ही की गई थी। इस प्रकार से वादी के माता के देहान्त के बाद वसीयत के आधार पर वादी उक्त भूमि का कानूनन खातेदार कास्तकार व हकदार बन गया तथा काबिज चला आ रहा है आज भी वादी का ही कब्जा है। वादी की माता के देहान्त के बाद उसके 3 वारिसान वादी वादी की बहने स्व0 चावली व प्रतिवादी सं0 5 ही है। वादी की बहन प्रतिवादी संख्या 05 ने अपनी सहमति से कोई हक हिस्सा माता की उक्त भूमि में ना

सहायक कलक्टर
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) ...

Scanned with OKEN Scanner

होने के बावजूद भी वादी की माता की वसीयत को सही मान कर वसीयत में सहमति देते हुए व अगर कोई कानूनी हक हिस्सा था भी तो वह वादी के हक में पारिवारिक समझौता अर्थात् सहमति पत्र से तर्क कर दिया इस प्रकार से वादी उक्त भूमि का वसीयत की रूह से अकेला खातेदार कास्तकार काबिज व हकदार है। प्रतिवादीगण 01 ता 03 के मन में गलत लालच आया हुआ है तथा अब वह उक्त भूमि से वादी को जबरन ही बैदखल करने व अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने मुन्तकिल करने के प्रयास में है। अगर वह इस में सफल हुए तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः वादी के लिए दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है तथा अपने नाम से दर्ज करवाना तथा डिकी स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना आवश्यक हो गया है। इसलिए दावा लाना आवश्यक हो गया है। यदि प्रतिवादीगण 01 ता 03 ने जबरन बेदखल किया व किसी की किसी प्रकार से मुन्तकिल किया जो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रतिवादी सं0 01 ता 03 लालचवश होने के कारण टाल मटोल करते हुए दिनांक 05.10.2019 को साफ़ इन्कार कर दिया तथा एलानिया कहा है कि हम इन्तकाल करवा कर मुन्तकिल करेंगे। यही बिनाये दावा है। उक्त भूमि श्रीमान् न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है अतः वाद वादी काबिल समाअत अदालत वाला है तथा तारीख इन्कारी से बिना किसी देरी के उचित न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 04 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाने के लिए भी आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 05 का हालांकि कानूनन कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। माता की जायज वारिस होने व मुकदमा के सही निर्णय के लिए आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा दावा वादी पेश करके अर्ज है कि दावा वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नप्रकार से डिकी सादिर किया जावे– (क) डिकी घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि चक 5 एफ बड़ा तहसील गंगानगर के खाता संख्या 47/50 मुरब्बा नं0 4 की 3.112 नहरी 0.050 हैक्टे0 खाला कुल 3.162 हैक्टे0 का वादी की माता की वसीयत दिनांक 04.07.1998 के आधार पर खातेदार कास्तकार हकदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में उसके नाम से खातेदारी दर्ज करने मामला लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे। (ख) डिकी स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 इस अमर की सादिर की जावे कि वह उक्त आराजी चक 5 एफ बडा खाता सं0 47/50 मुरब्बा नं0 4 की 3.112 नहरी 0.050 खाला कुल 3.162 हैक्टे0 के वादी के शांति पूर्वक कब्जा कास्त उपयोग में स्वयं अन्य किसी की सहायता से मदाखलत करने जबरन बेदखल करने करवाने किसी भूमि को मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहें।

दिनांक 09.11.2020 को प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 एवं 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

दिनांक 30.03.2021 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत।

दिनांक 29.03.2022 को साक्ष्यवादी बंद की गई।

दिनांक 06.09.2022 को अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 11.07.2022 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर बहस करते हुये दिनांक 29.03.2022 को बंद की गई साक्ष्यवादी को खुलवाने हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया गया। अतः दिनांक 29.03.2022 को बंद की गई साक्ष्यवादी को खोला गया।

दिनांक 09.09.2022 को साक्ष्यवादी प्रस्तुत। प्रतिवादी संख्या 01 पृथ्वीराम पुत्र स्व0 चावली पुत्री बहादर राम, प्रतिवादी संख्या 05 माया देवी पुत्री बहादर राम द्वारा दिनांक 27.03.2021 को वादी ओम प्रकाश के हक में परित्याग किया जा चुका है।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक चक 5 एफ बडा, पटवार हल्का कोनी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 प्रदर्श–1 दिनांक 09.09.2022, मृत्यु प्रमाण पत्र पार्वती प्रदर्श–3ए दिनांक 09.09.2022, वसीयतनामा दिनांक 04.07.1998 प्रदर्श–2ए है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर **वादी ओम प्रकाश पुत्र**

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

बहादर राम को चक 5 एफ बड़ा तहसील गंगानगर के खाता संख्या 47/50 मुरब्बा नं0 4 की 3.112 नहरी 0.050 हैक्टे0 खाला कुल 3.162 हैक्टे0 कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19.04.2023 को जारी किया गया।

संजय कुमार
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री संजय कुमार, आर.ए.एस.
वादपत्र संख्या 079/2019
अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. ओम प्रकाश पुत्र श्री बहादर राम जाति नायक निवासी वीपीओ कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

........वादीगण

ब ना म

1. पृथ्वीराम पुत्र स्व0 चावली पुत्री बहादर राम जाति नायक निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. बलराम पुत्र श्रीमती स्व0 चावली पुत्री बहादर राम जाति नायक निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. राज कुमार पुत्र स्व0 चावली पुत्री स्व0 बहादर राम जाति नायक निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ...... प्रतिवादीगण
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

...... आवश्यक प्रतिवादीगण

5. मायादेवी पुत्री बहादर राम जाति नायक पत्नी मनीराम निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ...... तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री बलराम स्वामी (वादी)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–04)

दिनांकः 20 अप्रैल, 2023

वादपत्र संख्या 079/2019
अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी व पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 04 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वाद वादी स्वीकार किया जाकर, **वादी ओम प्रकाश पुत्र बहादर राम** को चक 5 एफ बड़ा तहसील गंगानगर के खाता संख्या 47/50 मुरब्बा नं0 4 की 3.112 नहरी 0.050 हैक्टे0 खाला कुल 3.162 हैक्टे0 कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य..... दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 20 अप्रैल, 2023 को जारी की गयी.

Sanjay
संजय कुमार
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00!00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

संजय कुमार
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर